भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जूडिकेटिंग ऑफिसर) सुश्री बर्नाली मुखर्जी ने निम्नलिखित एंटिटी / नोटिसी को कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस) जारी की थी, जो उनके अंतिम ज्ञात पतों पर डिलीवर नहीं हो पाई। इसीलिए, उपरोक्त मामले में जाँच करने हेतु, न्यायनिर्णायक अधिकारी ने उपरोक्त नोटिसी की जानकारी हेतु, नीचे सारणी में उल्लिखित कारण बताओ सूचना को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर इन शीर्षकों के अंतर्गत उपलब्ध करवा दिया है: प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) -> समन / सूचनाएँ (नोटिस) - जिनकी तामील नहीं हो सकी [ENFORCEMENT -> Unserved Summons / Notices]। नोटिसी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कारण बताओ सूचना के प्रति उनके जवाब आदि, यदि कोई हों, इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, कारण बताओ सूचना के अनुसार, न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जूडिकेटिंग ऑफिसर) के पास इन ईमेल पर भिजवा दिए जाएँ: barnalim@sebi.gov.in एवं jayeetar@sebi.gov.in। इस मामले में जाँच करने हेतु, न्यायनिर्णायक अधिकारी ने नोटिसी को 'सारणी - क' में उल्लिखित तारीख व समय के अनुसार टेली कॉन्फ्रेंसिंग / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान किया है।

कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस)

सारणी-क

कारण बताओ सूचना के ब्यौरे (मामले का नाम)	**नोटिसी का नाम और उनका अंतिम ज्ञात पता**	**सुनवाई की तारीख व समय**
(क)	(ख)	(ग)
तारीख 15 दिसम्बर, 2023 की SEBI/HO/EAD/EAD5/P/OW/2023/50602/17	शीतल सुरेश काले **पता 1** – 203, पाम बीच रिवेरा सी.एच.एस.एल., गाँधी ग्राम रोड, इस्कॉन मंदिर के पास, जुहू, मुंबई - 400049 **पता 2** - ए/301 जुहू गजदार अपार्टमेंट, जुहू रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400049 **पता 3** - फ्लैट नं. बी/1504, गैलेक्सी हाइट्स लिंक रोड, वंसत गैलेक्सी के पास, गोरेगाँव (पश्चिम), मुंबई - 400104	5 अगस्त, 2024 को दोपहर 02:30 बजे

नोटिसी को यह सूचित किया जाता है कि वे सुनवाई की तारीख से कम से कम दो दिन पहले तक barnalim@sebi.gov.in एवं jayeetar@sebi.gov.in पर ई-मेल भेजकर यह पुष्टि कर दें कि सुनवाई के दौरान कौन-कौन हाजिर रहेगा। तदनुसार, नोटिसी को यह सूचित किया जाता है कि वे ज़ूम ऐप (Zoom App) डाउनलोड कर लें। नोटिसी की ओर से पुष्टि प्राप्त होने के बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ज़ूम (Zoom) का लिंक नोटिसी के उस ई-मेल / मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो नोटिसी ऊपर दिए गए ई-मेल पर सूचित करेंगी। यह नोट किया जाए कि यदि नोटिसी सुनवाई हेतु हाजिर नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि नोटिसी व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहती। यदि नोटिसी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त तारीख व समय पर सुनवाई हेतु हाजिर नहीं होते हैं, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा इस मामले के संबंध में, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आगे कार्यवाही कर ली जाएगी।

तारीख : 10 जुलाई, 2024
स्थान : मुंबई

बर्नाली मुखर्जी
जारीकर्ता प्राधिकारी

CBC 15204/11/0070/2425